

छत्रपति शाहु जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर-24
KALYANPUR, KANPUR-24
Dated : 15-10-2015



Ref. No.: CSJMU/सा.प्रशा/609/2015

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
दि न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड,
112/1, बेनाज़ाबर, कानपुर-208002।

विषय: विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के बीमा के सम्बन्ध में।

महोदय,
कृपया विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत वर्ष 2015-16 के छात्र/छात्राओं के मेडीकलेम एवं व्यक्तिगत बीमा दुर्घटना(छात्र एवं अभिभावक सहित) के सम्बन्ध में विगत वर्ष की भौति आप द्वारा प्रत्यावित रूपये 443/- (सभी कर सहित) प्रति छात्र/छात्रा देय प्रीमियम राशि को खीकार कर लिया गया है।

उक्त प्रीमियम राशि में आप द्वारा रूपये 70 हजार की सीमा तक मेडीकलेम एवं रूपये 05 लाख की सीमा तक व्यक्तिगत बीमा दुर्घटना(छात्र एवं अभिभावक सहित) की राशि देय होगी। साथ ही मेडीकलेम पालिसी के अन्तर्गत रु0 2,000/- प्रतिदिन का कमरा (Including Nursing Expenses) तथा रु0 4,000/- प्रति (I.C.U.) (Including Nursing Expenses) प्रतिदिन की दर से देय होगा। तथा उक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि पालिसी जारी करने के एक माह के अन्दर प्रत्येक छात्र/छात्रा का ई-कार्ड भी जारी करना होगा तथा सम्बंधित छात्र/छात्रा को बीमारी या दुर्घटना होने की दशा में (Cashless) सुविधा भी प्रदान करनी होगी।

भवदीय,

/(
(सच्चाद वकार हुसैन)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. श्री दुर्गेश दीक्षित, विकास अधिकारी, दि न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, 112/1, बेनाज़ाबर, कानपुर।
2. समरत निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी को इस आशय से कि सभी छात्रों से बीमा प्रीमियम के रूप में रु0 443/- की राशि जमा करवायी जाये तथा समरत शुल्क एक साथ बैंक में जमा करके प्राप्ति रसीद वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. उप कुलसचिव(लेखा)
4. वित्त एवं लेखाधिकारी।
5. उप कुलसचिव (प्रशा)
6. व्यौ0 सहायक, वित्त अधिकारी।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

/(
(सच्चाद-वकार हुसैन)
कुलसचिव